तत्काल
विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्याः डी.ई.–25 (13)/303/वि.कार्य/2018–19/1521-22 दिनाँक – 21/08/19

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054।

विषयः– विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या 10 दिनांक 22.08.2019 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 10, जो कि दिनाँक 22.08.2019 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

भवदीय,

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

(एस.सी. मीणा)
उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

संख्याः डी.ई.–25 (13)/303/वि.कार्य/2018–19/1521-22 दिनाँक -21/08/19
प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054 (150 प्रतियाँ)।

(एस.सी. मीणा)
उप शिक्षा निदेशक, (विधायी कार्य शाखा)

Scanned by CamScanner

विभाग का नाम :– **शिक्षा विभाग**

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

तारांकित प्रश्न सख्या :– 10

दिनॉक :– 22.08.2019

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री विजेंद्र गुप्ता

क्या उपमुख्यमंत्री / मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	प्राथमिकता–। के अन्तर्गत बनाए गए कमरों की संख्या और शिक्षा निदेशालय में इसके लिए स्वीकृति कुल धनराशि,	7137 समकक्ष कमरो का निर्माण प्राथमिकता–1 के अतर्गत किया गया जिसके लिए रूपए 989.26 करोड की राशि को ई.एफ.सी. / कैबिनेट के अनुमोदन के उपरान्त व्यय स्वीकृति प्रदान की गयी। इस कार्य मे विभिन्न सुविधाओं सहित एम.पी. हॉल का निर्माण, स्टेयर केस, शौचालय का निर्माण, कोरीडोर, प्रयोगशालाएँ, लाईब्रेरी, प्रधानाचार्य कक्ष, सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, अग्नि सुरक्षा, आर.ओ., बिजली उपकरण, जमीन का समतलीकरण, आंतरिक सडकें, हार्टिकल्चर ऑपरेशन, स्ट्रीट लाईटस, इत्यादि विभिन्न कार्य अलग–अलग स्कूलों की अलग–अलग परिस्थितियों के अनुसार शामिल है। यह सिर्फ और सिर्फ कमरे निर्माण के कार्य का प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें कमरो के निर्माण के साथ–साथ स्कूलो मे अन्य सुविधाएँ देना भी शामिल है।
ख)	प्राथमिकता –। में प्रति वर्ग मीटर क्या लागत आई है और प्रति कमरा क्या लागत आई है,	प्राथमिकता–1 के अंतर्गत समस्त निर्माण कार्य का प्रारम्भिक प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया था, जो कि भारत सरकार के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैन्युअल में निर्धारित दरों पर आधारित है। यहाँ यह बताना भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न कार्यों के लिए अनुमोदित राशि के बाद अलग–अलग कार्यों की अंतिम राशि अलग–अलग आती है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कुल अनुमोदित राशि एवं कार्य विवरण को ध्यान में रखते हुए प्रति कमरा लागत का निष्कर्ष निकालना गलत होगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राथमिकता–1 के अंतर्गत रूपए 24 हजार 665 प्रति वर्ग की निर्माण लागत आई है।
ग)	इसके लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की अनुमति प्रदान किए जाने संबधी ब्यौरा दें तथा बताएँ कि इसके लिए शर्ते क्या थीं;	शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति ई.एफ.सी. / कैबिनेट द्वारा प्रदान की गई तथा स्वीकृति मे निम्नलिखित शर्तो के मानक निर्धारित किए गए:– 1. चालू वित्त वर्ष के दौरान होने वाला कुल व्यय बजट मे उपलब्ध निधि से अधिक नहीं होना चाहिए। 2. लोक निर्माण विभाग सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करेगा। 3. किसी परिस्थिति में लागत की वृद्धि की अनुमति नहीं होगी। 4. किसी भी स्थिति में लोक निर्माण विभाग को अतिरिक्त धनराशि प्रदान नहीं की जाएगी। 5. यह कार्य निर्धारित अवधि में पूरा किया जाएगा। 6. लोक निर्माण विभाग को समय–समय पर उपर्युक्त कार्य के संबंध में स्थिति रिपोर्ट शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करनी होगी। हालांकि उपरोक्त शर्ते निर्माण कार्यो के विवरण के आधार पर लागू होती हैं। विभिन्न परिस्थितियों में अलग–अलग आवश्यकताओं के आधार पर नया निर्माण कार्य विवरण भी तैयार किया जाता है अथवा आवश्यकता पडने पर इसमें बदलाव की अनुमति नियमानुसार दी जाती है।

DDE (LW)
Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi

Scanned by CamScanner

घ)	अनुमानित व्यय के विभिन्न घटको की सूची के साथ बताएँ कि व्यय–अनुमान मे हॉर्टीकल्चर, लैंडस्केपिंग, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सहित कौनसे घटक सम्मिलित किए गए हैं,	अनुमानित व्यय के विभिन्न घटक मुख्यतः निम्नलिखित हैः– 1. **भवन निर्माणः** इसमें ईमारत की नीव, निर्माण कार्य, अग्नि सुरक्षा उपकरण, बिजली उपकरण इत्यादि शामिल है। 2. **सेवाएँः** इसमें पानी की सुविधा, आर.ओ. आदि शामिल है। 3. **विकास कार्यः** इसमें जमीन का समतलीकरण, स्ट्रीट लाईट, हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन आदि शामिल है।
ङ0)	प्राथमिकता–। मे समापन का निर्धारित समय क्या था,	लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसारः– 9 सप्ताह –कार्य आवंटन के लिए व 27 सप्ताह – निर्माण कार्य हेतु निर्धारित किए गए है। हालांकि यह समय–सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि एन. जी.टी., पर्यावरण आदि विभिन्न संस्थाओं से अनुमति में कितना समय लगता है तथा किसी स्कूल में निर्माण के समय परीक्षा तथा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के बीच विद्यालय में निर्माण कार्य को किस स्तर पर अनुमति दी जा सकती है, इसलिए अलग–अलग विद्यालय में उपरोक्त समय–सीमा का पालन उसी के अनुसार होता है।
च)	प्राथमिकता–। के अतर्गत अब तक वास्तव मे बन चुके कमरो का भवनवार और समयवार ब्यौरा,	
छ)	क्या इन कमरो को उनके लक्षित समय के बाद सौपा गया, और	
ज)	यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है ।	

DDE (LW)
Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi

Scanned by CamScanner